न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 130/2017

1. विपुल पुत्र श्री विजयपाल जाति बिश्नोई उम्र 20 वर्ष निवासी 4 डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. विनीत पुत्र श्री विजयपाल जाति बिश्नोई उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिए कुदरतीवली माता श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री विजयपाल जाति बिश्नोई उम्र 38 वर्ष निवासी 4 डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री विजयपाल जाति बिश्नोई उम्र 38 वर्ष निवासी 4 डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. विजयपाल पुत्र हरीकिशन जाति बिश्नोई निवासी 4 डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री राजेन्द्र कस्वां अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 15.07.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 4 डी छोटी की खतौनी संख्या 31/29–33 के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1 में 0.125 हैक्टर, किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 19, 21/1 में 0.030 हैक्टर व 22 ता 25 कुल 5.225 हैक्टर नहरी राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। नकल मौजूदा जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 शामिल वाद पत्र है।

तहसील श्रीगंगानगर के चक 4 डी छोटी की खतौनी संख्या 71/61 के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 21 ता 25 में 1.265 हैक्टर नहरी रकबा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। मौजूदा जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 शामिल वाद पत्र है।

तहसील श्रीगंगानगर के चक 4 डी छोटी की खतौनी संख्या 34/35 के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक में 0.240, किला नमबर 5 में 0.215, किला नम्बर 6 में 0.228, किला नम्बर 7 ता 10 सालम किला नम्बर 11 में 0.139, किला नम्बर 13/1 में 0.076, किला नम्बर 14 में 0.131, 15 में 0.125 हैक्टर कुल 2.756 हैक्टर नहरी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मौजूदा जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 शामिल वाद पत्र है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपरोक्त समस्त रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है वह जद्दी जायदाद है जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता व चाचा के द्वारा बंटवारा डिग्री से प्राप्त हुआ है जिसमे वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। जिसको वह पाने के अधिकारी है नकल इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ संलग्न वाद पत्र है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का सयुंक्त अविभाजित हिन्दू संयुक्त परिवार है व इसके नाम की समस्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दु अविभाजित परिवार की संयुक्त संपत्ति है जिसमे वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 जो बेहद खर्चीले स्वभाव का है जो बिना संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की आवश्यकता के रकबा को ओने–पोने दामों में बेचने पर आमदा है पूर्व में एक वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त रकबा का बेचान करने की नीयत से ईकरारनामा किया जिसका वादीगण को इल्म होने पर रिश्तेदारान की मौजूदगी में उक्त इकरारनामा को कैंसल करवाया गया तथा परिवार की स्थिति को देखते हुए नजदीकी रिश्तेदारों ने पारिवारिक प्रेमभाव को कायम रखते हुए दोनों पक्षों का राजीनामा करवा कर घरू बंटवारा अनुसार रकबा बांट कर दे दिया। इसी राजीनामा अनुसार दोनों पक्ष अपने–अपने हक व हिस्सा पर काबिज है तथा बिना किसी विघन के अपने–अपने रकबा का उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं।

खाता सांझा रहने से लगान व आबियाना देने में पानी की भराई में कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कते है व बैंक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। हक व हिस्सा अनुसार, कब्जा काश्त अनुसार खता तकसीम करवा कर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाना आवश्यक व जरूरी है।

घरेलु बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष के हिस्सा में रकबा निम्न प्रकार से है :–

1. वादी संख्या 2 विनीत का हिस्सा :– वाके चक 4 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 2 ता 9 में 2.024 हैक्टर नहरी ।
2. वादी संख्या 1 विपुल का हिस्सा :– वाके चक 4 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 16 ता 19, 22 ता 25 में 2.024 हैक्टर नहरी ।
3. वादी संख्या 3 का हिस्सा :– वाके चक डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 12 ता 15 में 1.012 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 22 ता 25 में 1.012 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर ।
4. प्रतिवादी संख्या 1 विजयपाल का हिस्सा :– वाके चक 4 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54 कि किला नम्बर 1 में 0.125 हैक्टर, किला नम्बर 21/1 में 0.030 हैक्टर कुल 0.155 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक में 0.240, किला नम्बर 5 में 0.215, किला नम्बर 6 में 0.228, किला नम्बर 7 ता 10 सालम किला नम्बर 11 में 0.139, किला नम्बर 13/1 में 0.076, किला नम्बर 14 में 0.131, 15 में 0.125 हैक्टर कुल 2.756 हैक्टर इस प्रकार से दोनों मुरब्बों में कुल 2.911 हैक्टर जो राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम दर्ज है।

वादीगण ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि घरेलु बंटवारा अनुसार जो रकबा जिस प्रकार प्रत्येक पक्षकार के हिस्सा में आया है उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने के लिए आप सक्ष्म अधिकारी के समक्ष सहमती के ब्यान कर दो, ताकि रकबा प्रत्येक पक्ष के नाम से दर्ज हो जावे। पहले तो आजकल आजकल करे रहे फिर आज से पन्द्रह रोज पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गये और कहनें लगे कि मै तो घरेलु बंटवारा को नहीं मानता और ना ही तुम्हारे पक्ष में सहमती के ब्यान करता हूँ। जो करना है सो कर लो बस यही बिनाय दावा है। जो वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल है।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादीगण को घरेलु बंटवारा अनुसार प्राप्त रकबा को अपने नाम दर्ज करवाने के लिए व वादी संख्या 2 जो नाबालिग है जिसके हित को सुरक्षित रखने के लिए कुदरतीवली माता द्वारा दावा पेश करने की अधिकारनी है व दोनों बच्चों द्वारा अपने पिता से भूमि में अपना हिस्सा मांगने के कारण वादीया संख्या 3 का भी इसमे कानूनन हिस्सा बनता है जिसको वह पाने की अधिकारणी है। इन सब को प्राप्त करने के लिए दावा दायरी के अलावा अन्य कोई विधिक उपचार उपलब्ध नहीं है इसलिए वादीगण दावा पेश करने के अधिकारी है।

राजस्थान सरकार भूमि की मालिक है तथा आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। लेकिन उससे कोई अनुतोष नहीं चाहा है।

अतः दावा पेश करके निम्न प्रकार से डिग्री फरमाये जाने हेतु निवेदन किया है।

1. घोषित किया जावे कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र की मद संख्या 10 में दर्ज रकबा के खातेदार काश्तकार है।
2. इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना कायम किया जावे।
3. खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।
4. अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत वादीगण के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होने के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये। वादीगण की पहचान श्री पवन शाक्य अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री राजेन्द्र कस्वां अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष एक ही परिवार के है। परिवार के नजदीक मौतबिरान व्यक्तियों के द्वारा दोनों पक्षों का आपस में राजीनामा करवा दिया है। इस राजीनामा के अनुसार अपने–अपने हक व हिस्सा पर काबिज है। राजीनामा के अनुसार प्रथम पक्ष के हिस्सा में रकबा निम्न प्रकार से आया है :–

1. प्रथम पक्ष संख्या 1 विपुल का हिस्सा :– वाके चक 4 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 16 ता 19, 22 ता 25 में 2.024 हैक्टर नहरी।
2. प्रथम पक्ष संख्या 2 वितीत का हिस्सा :– वाके चक 4 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 2 ता 9 में 2.024 हैक्टर नहरी
3. प्रथम पक्षकार संख्या 3 का हिस्सा :– वाके चक 4 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 12 ता 15 में 1.012 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 22 ता 25 में 1.012 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर
4. द्वितीय पक्षकार संख्या 1 विजयपाल का हिस्सा :– वाके चक 4 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1 में 0.125 हैक्टर, किला नम्बर 21/1 में 0.030 हैक्टर कुल 0.155 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक में 0.240, किला नम्बर 5 में 0.215, किला नम्बर 6 में 0.228, किला नम्बर 7 ता 10 सालम किला नम्बर 11 में 0.139, किला नम्बर 12 में 0.139 हैक्टर, 13/1 में 0.076, किला नम्बर 11 से 14 में 0.139, 15 में 0.125 हैक्टर कुल 3.096 हैक्टर इस प्रकार से दोनों मुरब्बों में कुल 3.251 हैक्टर जो राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 4

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेष किये। वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए आर.आर. डी. 2008 पेज 481 की नजीर पेष कर कथन किया कि वादी संख्या 3 अपनें पति के जीवित रहते हुए पुत्रों द्वारा पैतृक सम्पत्ति के बराबर विभाजन की मांग करनें पर उसे भी पुत्रों के बराबर हिस्से की मांग की है, जो प्रिसिपल आफ हिन्दू ला के पैरा 315 के विवेचन एवम् गुरूपत खण्डापा बनाम हीराबाई में प्रतिपादित सिद्वान्तों के आधार पर अपना हिस्सा प्राप्त करनें की अधिकारिणी है तथा वह अपनें परिवार की पैतृक सम्पत्ति में पति व पुत्रों के बराबर के हिस्से की घोषणा करवानें की अधिकारिणी है। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 विजयपाल के नाम से तहसील श्रीगंगानगर के चक 4 डी छोटी की खतौनी संख्या 31/29–33 के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 1 में 0.125 हैक्टर, किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 19, 21/1 में 0.030 हैक्टर व 22 ता 25 कुल 5.225 हैक्टर खतौनी संख्या 71/61 के मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 21 ता 25 में 1.265 हैक्टर खतौनी संख्या 34/35 के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक में 0.240, किला नम्बर 5 में 0.215, किला नम्बर 6 में 0.225, किला नम्बर 7 ता 10 सालम किला नम्बर 11 में 0.139, किला नम्बर 13/1 में 0.076, किला नम्बर 14 में 0.131, 15 में 0.125 हैक्टर कुल 2.756 हैक्टर नहरी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वह जद्दी जायदाद है जिसमे वादीगण द्वारा अपनें हिस्से की भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करना न्यायोचित है।

अतः वाद में वर्णित उक्त आराजी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी है में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वादी संख्या 1 को 2.024 हैक्टर वादी संख्या 2 को 2.024 हैक्टर तथा वादी संख्या 3 को 2.024 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित करते हुए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत राजीनामा अनुसार वादीगण 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उनकी खातेदारी भूमि का विभाजन राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 विपुल पुत्र श्री विजयपाल जाति बिश्नोई उम्र 20 वर्ष निवासी 4 डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

क्र. सं.	चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	4 डी छोटी	29/33	54	16 ता 19, 22 ता 25	2.024 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 5

2. वादी संख्या 2 विनीत पुत्र श्री विजयपाल जाति बिश्नोई उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिए कुदरतीवली माता श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री विजयपाल जाति बिश्नोई उम्र 38 वर्ष निवासी 4 डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हक हिस्सा की भूमि :–

क्र. सं.	चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	4 डी छोटी	29/33	54	02 ता 09	2.024 हैक्टर

वादी संख्या 2 विनीत के बालिग होनें तक उसके हिस्से की भूमि की सार सम्भाल उसकी माता उर्मिला करेगी परन्तु इस भूमि को विनीत के बालिग होनें से पूर्व किसी अन्य को किसी भी प्रकार से रहन, बैय/अन्तरित नहीं कर सकेगी।

3. वादी संख्या 3 श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री विजयपाल जाति बिश्नोई उम्र 38 वर्ष निवासी 4 डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

क्र. सं.	चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	4 डी छोटी	29/33	54	12 ता 15	1.012 हैक्टर
		71/61	55	22 ता 25	1.012 हैक्टर
कुल भूमि					2.024 हैक्टर

4. प्रतिवादी संख्या 1 विजयपाल पुत्र हरीकिशन जाति बिश्नोई निवासी 4 डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

क्र. सं.	चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
1.	4 डी छोटी	29/33	54	1/.125, 21/1 में 0.030,	0.155 हैक्टर
		34/35	38	1 ता 4 प्रत्येक में 0.240, 5/.215, 6/.228, 7 ता 10 सालम, 11/.139, 12/.139, 13/1 में 0.076, 13/0.063 14/.139, 15/.125,	3.096 हैक्टर
कुल भूमि					3.251 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दषा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेषानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेष आज दिंनाक 15.07.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 ग्राम पंचायत ..... में आयोजित षिविर के दौरान मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर